न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 13/2016/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

नरेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खण्डेला मैसर्स श्री जोधपुर स्वीट होम खण्डेला जिला सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांकः–22.11.2019**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान घरलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग पाये जाने पर कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान श्री जोधपुर स्वीट होम खण्डेला पर श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा बीपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या 0481815 मिठाई बनाने आदि व्यवसायिक कार्य किया जाता पाया गया। मौके पर कोई कागजात पेश नही किये तथा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया। जिस पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 के उपबंधो का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उक्त गैस सिलेण्डर जिसमें खोलने पर गैस की मात्रा 14.200 किग्रा. थी, को वजह सबूत जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मौके पर ही श्री हरिराम प्रबंधक मैसर्स सागर गैस एजेन्सी खण्डेला को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। द्रवित गैस ज्वनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए (2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र किये जाने के आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया एवं जवाब आवेदन पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने ग्राम खण्डेला में श्री जोधपुर स्वीट होम के नाम से मिठाई का कारोबार कर रखा है। दिनांक 11.03.2016 को प्रार्थी के यंहा व्यावसायिक श्रेणी का तथा प्रार्थी के पड़ोसी सीताराम सैन पुत्र कालूराम सैन का घरेलू गैस सिलेण्डर लेकर आये। प्रार्थी ने अपना सिलेण्डर कारखाने में रखवा दिया तथा पड़ोसी सीताराम ने अपना सिलेण्डर मेरी दुकान की सिढ़ियों के पास रखने हेतु कहा शाम को घर जाते वक्त ले जाने बाबत कहा। इसी दौरान प्रवर्तन स्टाफ द्वारा प्रार्थी की सीढ़ियों पर पड़े गैस सिलेण्डर को जब्त कर लिया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा प्रार्थी की मिठाई की दुकान होने के कारण उसका व्यावसायिक प्रयोजन मानकर मिथ्या आरोप लगाकर उक्त सिलेण्डर जब्त कर लिया। प्रार्थी का सिलेण्डर सीताराम द्वारा सम्भलाने के कारण प्रार्थी उक्त सिलेण्डर अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने का अधिकारी है ताकि सिलेण्डर प्राप्त करने के पश्चात् वह सीताराम को लौटा सके। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाकर जब्त किया गया

सिलेण्डर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने की कृपा करें। अप्रार्थी द्वारा जवाब के सलंग्न गैस कनेक्शन की डायरी उपभोक्ता क्रमांक 008564 एसवी क्रमांक 506905360 दिनांक 30.06.07 की फोटो प्रति पेश की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में फर्द चैकिंग के मुताबिक प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 11.03.2016 को समय 02:15 पीएम पर निरीक्षण के दौरान श्री जोधपुर स्वीट होम खण्डेला पर श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा बीपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या 0481815 कुल वजन 29.700 कि.ग्रा. गैस की मात्रा 14.200 कि.ग्रा. का उपयोग मिठाई बनाने हेतु करते पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त किया गया। मौके पर पुछताछ करने पर सिलेण्डर बाबत कोई कागजात पेश नहीं किये गये। उक्तानुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबंधों का उक्त दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर उक्त जब्त सिलेण्डर को सुरक्षित रखने हेतु श्री हरिराम मैनेजर सागर गैस एजेन्सी भारत गैस एजेन्सी खण्डेला की सुपुर्दगी में दे दिया गया। मौके पर दुकान पर नरेन्द्रसिंह मौजूद था किन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। मौके पर पुखराज सिंह दुकान मालिक ने सिलेण्डर स्वयं का मानते हुए हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब आवेदन के मुताबिक जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी के पड़ोसी सीताराम सैन पुत्र कालूराम सैन का घरेलू गैस सिलेण्डर होना अंकित किया गया है। उक्त सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान की सीढियों पर होने के कारण व्यावसायिक प्रयोजन मानकर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जब्त कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस के समर्थन में गैस कनेक्शन की डायरी की प्रति पेश की जिसमें उपभोक्ता सीताराम सैन पुत्र कालुराम सैन पता बल्लुपुरा वार्ड नम्बर 17, खण्डेला अंकित है। चूंकि फर्द चैकिंग के मुताबिक जब्तशुदा सिलेण्डर को दुकान मालिक पुखराज सिंह ने स्वयं का सिलेण्डर मानते हुए अपने हस्ताक्षर किये है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त सिलेण्डर प्रार्थी के पड़ोसी सीताराम सैन पुत्र कालूराम सैन का घरेलू गैस सिलेण्डर होने बाबत कथन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस के सलंग्न प्रस्तुत गैस कनेक्शन की डायरी की प्रति जिसमें उपभोक्ता का नाम सीताराम सैन पुत्र कालूराम सैन पता बल्लुपुरा वार्ड नं. 17 खण्डेला अंकित है जो कि सिलेण्डर जब्ती स्थान से भिन्न स्थान है। अप्रार्थी द्वारा इसके अलावा जब्त शुदा सिलेण्डर के सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जा रहा था। जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस क्षरित योग्य है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस मात्रा 14.200 कि.ग्रा. का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। जिला रसद अधिकारी जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त न्यायालय के अन्तिम निर्णय के मुताबिक निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को सुचित कर देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

22/11/19

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.26 13:07:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: